To Supply Proper Water For Irrigation

***64. SHRI RAM KUMAR GAUTAM, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply proper water for irrigation in villages Masudpur, Datta, Lohari Ragho, Haibatpur, Rakhi Shahpur, Rakhi Garhi, Gamra, Kheri Jalab, Kheri Lochab in Narnaund Constituency?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

Sir, all the 9 villages are being supplied adequate water i.e. more than the project intensity of 62% through the existing Canal Network of Masudpur Panihari Link Channel, Datta Distributory, Singhwa Distributory, Kheri Sheoran Minor of Bhakra system and Masudpur Distributory, Lohari Minor of Yamuna system. On demand of villagers for improved irrigation, some areas of villages Lohari Ragho, Datta, Tharwa and Saladheri are being shifted to Yamuna system by extension of Masudpur Distributory.

Note for Pad
Starred Assembly Question No. 64

The Masudpur Distributory from RD 0 to 101470 off take from 235768-R Hansi Branch (Yamuna System) was lined during the year 1978-1979 with discharge as 118 Cs. and GA/CCA as 29785/27368acres for providing irrigation in villages Masudpur, Datta, Lohari Ragho, Haibatpur, Rakhi Shahpur, Rakhi Garhi, Gamra, Kheri Jalab, Kheri Lochab in Narnaund Constituency. Later on the shareholders demanded supply of Bhakra waters also and accordingly during 1998-99 Masudpur Panihari Dy. from RD 0-25500 off-taking from RD 75000-L Barwala Branch was lined and further in the year 2005 it was extended from RD 25500 to 40000 and linked to Masudpur Distributory at RD 70000-R and renaming it as “Masudpur Panihari Link Channel” from RD 0 to 72470. Resultantly the Masudpur Distributory was curtailed at RD 63350.The discharge of Masudpur Dy. Was accordingly reduced to 90 Cs. with GA/CCA i.e. 16825/15605. The total area of 9 villages is 33600 GA and 31365 CCA. The percentage of irrigation of this area is more than 140% whereas the irrigation of the area on the proposed extension is on lesser side.

Later on shareholders of nine No. outlets of tail Lohari Minor, Masudpur Distributory (Yamuna System) and Masudpur Panihari Link channel (Bhakra System) with GA/CCA as 3886/3724 acres have stated that they are not getting proper irrigation through existing sources and thus demanded for extension of Masudpur Distributory through new alignment from RD 63350 to 84000. The existing irrigation of 3165 acre out of 3455 acre was from 72% to 154% whereas remaining area of 290 acres on Masudpur Panihari Link Channel was getting irrigation in the range of 18% to 39% only.

On the demand of Shareholders/Zamindars case was heard jointly by DCO/Hansi and DCO/Hisar under Haryana Canal and Drainage Act, 1974 on 11.02.2014 wherein it was observed that though adequate water is being supplied to the in question villages but irrigation of the area in question depends on tube well and water of the tube wells is salty and not fit for agriculture and thus to improve the irrigation through canal water, the scheme was approved. Subsequently, the Project Estimate for Extension of Masudpur Distributory from RD 63350 to RD 84000 was approved by the Standing Technical Committee of the department in its meeting held on 11.08.2014.

The detail of outlets/villages alongwith their GA/CCA which have been proposed to be taken on Extension channel are as under:-

Outlet RD	Village	Existing				On proposed extension		
		GA (In acres)	CCA (In acres)	Area Irrigated (In acres)	Av. Actual Irrigation	CCA (In acres)	Proposed Irrigation	Area to be irrigated (In acres)
59630-L Masudpur Dy	Lohari Ragho	456	456	461	101%	456	110%	502
63350-TL Masudpur Dy	Lohari Ragho	431	367	565	154%	367	160%	587
33000-R Lohari Minor	Lohari Ragho	138	138	99	72%	138	82%	113
39000-TR Lohari Minor	Tharwa, Saladheri	1000	952	1133	119%	952	130%	1238
39490-L Masudpur Panihari Link Channel	Lohari Ragho	856	856	933	109%	856	120%	1027
41666-L Masudpur Panihari Link Channel	Lohari Ragho	170	170	60	35%	170	62%	105
48708-L Masudpur Panihari Link Channel	Lohari Ragho, Tharwa, Datta	396	396	416	105%	396	115%	455
48608-R Masudpur Panihari Link Channel	Lohari Ragho	56	56	22	39%	56	62%	35
52008-L Masudpur Panihari Link Channel	Tharwa	64	64	12	18%	64	62%	40
Total		**3567**	**3455**	**3701**	**107%**	**3455**	**119%**	**4102**

The administrative approval amounting to Rs. 933.00 lac was accorded by the Govt. vide memo No. 2/29/2016-11W dt. 16.05.2016. Accordingly the alignment was approved vide CE/BWS, I&WR Deptt. Panchkula letter No. 6132/5BWS/70/320 dated 04.10.2016.

Land involved for the above scheme i.e. 19.18 acres is required to be purchased from the land owners in village Lohari Ragho and Tharwa as per “Land Purchase Policy” of Govt. of Haryana. The capacity of above said extension channel is 8.64/11.23 cs. The area finally taken on the extension channel is 3567/3455 acres GA/CCA. The land measuring 17.24 acres is of village Lohari Ragho and 1.94 acre of village Tharwa. The collector rate for the year 2017-18 for village Lohari Ragho is 12.50 lakh per acre and village Tharwa is Rs 12.30 lakh per acre and the same has been recommended by “Committee of Secretaries” in its meeting held on 04.07.2018 under the Chairmanship of Chief Secretary and finally approved by the “High Powered Land Purchase Committee” under the chairmanship of Hon’ble Finance Minister on 22.11.2018 under

the “Land Purchase Policy” with condition that “the payment to be made to the landowners is to be deposited with concerned DRO and the same will be released by the Revenue department to the bank/landowners only after registry of the entire land of the scheme is made in the name of Irrigation and Water Resources Department, to avoid any complications at later stage.

The total land amount involved is Rs. 243.00 lakh and the same has been deposited with DRO/Hisar. Subsequently notices were issued on 18.06.2019 to the land owners of the land for the registration of their land in favour of the Provincial Govt. The farmers/land owners who came forward for registration of their land have given the written statement to the DCO wherein they demanded that the cheque for the cost of land should be given simultaneously with the registration of land. On the other dates fixed for registration, none of the farmers/land owners reached Tehsil, Narnaund for the registration purpose and when they were contacted telephonically, they again demanded that the cheque for the land must be given with the registration itself. Thus not even the single registration of the land has been made in favour of I&WR Deptt.

The department officials accordingly approached the land owners for carrying out and executing the registry but in vain. In turn the land owners staged dharna during Sept. 2019 at the village Kheri Chopta demanding that the land should be acquired instead of purchase. They further stated that some of the villagers are living outside the State or Abroad. Accordingly, a meeting was held with the DC/Hisar and other officers wherein it was decided that firstly the bifurcation of the land owners is to be done. Accordingly, a list of all the land owners was prepared, who reside in State or outside the State. Several meetings were also held to resolve the matter but in vain. Again a meeting was held with DC/Hisar, Tehsildar Narnaund and SDM Narnaund on 09.01.2020 wherein it was decided that notices be issued again to the land owners for execution of registry of land. The notices were again issued to each and every land owner on 10.01.2020 wherein the directions were given to the land owners for carrying out the registration of their land on 21.01.2020 in the office of the Tehsildar Narnaund. After great persuasion and motivation now the work of registry of land in favour of the department is in progress and already 10.40 acre land of village Lohari Ragho out of 17.24 acre and 0.96 acres land of village Tharwa out of 1.94 acre stands registered and after completion of the registration of land process in favour of Irrigation Department, the work will proceed further and formalities of estimate and tenders and thereafter allotment of work will be carried out.

सिंचाई के लिए समुचित जलापूर्ति

*64. **श्री राम कुमार गौतम, एम0एल0ए0:** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या नारनौंद विधानसभा के गांवों मसूदपुर, डाटा, लोहारी राघो, हैबतपुर, राखी शाहपुर, राखी गढ़ी, गामड़ा, खेड़ी जालब, खेड़ी लौचब में सिंचाई के लिए समुचित जलापूर्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी, इन सभी 9 गांवों की भूमि, मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल, डाटा डिस्ट्रीब्यूट्री, सिंघवा डिस्ट्रीब्यूट्री व खेड़ी श्योराण माईनर (भाखड़ा प्रणाली) व मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री व लोहारी माईनर (यमुना प्रणाली) से सिंचित होती है जिसकी परियोजना सघनता 62 प्रतिशत से अधिक है। बेहतर सिंचाई के लिए लोहारी राघो, डाटा, ठरवा और शालाडेरी के कुछ क्षेत्र को लोगों की मांग के अनुसार यमुना प्रणाली में स्थानांतरण करने के लिए मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को आगे बढ़ाने की प्रस्ताव है।

पैड के लिए नोट
विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या–64

मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री बुर्जी 0 से 101470 टेल, हांसी ब्रांच की टेल बुर्जी 235768–दाएं (यमुना प्रणाली) को वर्ष 1978–1979 में पक्का किया गया था जिसकी क्षमता 118 क्यूसिक थी और उस पर कुल क्षेत्र (जी.ए.)/कृषि कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) 29785/27368 एकड़ था जिससे गांव मसूदपुर, डाटा, लोहारी राघो, हैबतपुर, राखी शाहपुर, राखी गढ़ी, गामडा, खेडी जालब, खेडी लोचब जो नारनौंद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, की सिंचाई होती थी। मसूदपुर पनिहारी डिस्ट्रीब्यूट्री बुर्जी 0 से 25500–टेल जो कि बरवाला ब्रांच की बुर्जी 75000–बांए से निकलती है वर्ष 1998–99 में पक्की की गई थी तथा बाद में लोगों ने मसूदपुर पनिहारी डिस्ट्रीब्यूट्री को बुर्जी 25500 से 40000 तक बढाकर मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की बुर्जी 70000–दाएं पर मिलाने की मांग रखी व वर्ष 2005 में इसको मिला दिया गया तथा मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को बुर्जी 101470 से 63350 तक छोटा कर दिया गया। तदानुसार मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की क्षमता घटकर 90 क्यूसिक रह गई तथा इस पर 16825/15605 जी.ए./सी.सी.ए. रह गया। इन 9 गाँवों का सिंचित क्षेत्र 33600 जी.ए. व 31365 सी.सी.ए. है। इन क्षेत्रों की सिंचाई प्रतिशतता 140 प्रतिशत से अधिक है जबकि प्रस्तावित एक्सटेंशन के क्षेत्र की सिंचाई कम है।

बाद में लोहारी माईनर, मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री (यमुना प्रणाली) व मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल (भाखड़ा प्रणाली) जिसका जी.ए. 3886 व सी.सी.ए 3724 एकड़ के 9 मोगो के जमींदारों ने मांग रखी कि हमारे क्षेत्र की सिंचाई मौजूदा तंत्र के द्वारा सही प्रकार से नहीं हो रही है तथा हम मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को बुर्जी 63350 से 84000 टेल को नए संरेखण पर बढ़ाया जाए। वर्तमान में 3455 एकड़ में से 3165 एकड़ की सिंचाई जो कि 72 प्रतिशत से 154 प्रतिशत है जबकि मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल से सिंचित होने वाले 290 एकड की सिंचाई केवल 18 प्रतिशत से 39 प्रतिशत है।

हिस्सेदारों/जमींदारों की मांग के अनुसार मण्डल नहर अधिकारी, हांसी जल सेवाएं मण्डल, हांसी व मण्डल नहर अधिकारी, हिसार जल सेवाएं मण्डल, हिसार ने संयुक्त रूप से इस स्कीम की सुनवाई हरियाणा कैनाल एण्ड ड्रैनेज एक्ट 1974 के अन्तर्गत 11.02.2014 को की थी और उन्होंने पाया कि हालांकि सम्बन्धित गांवों में पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की जा रही है फिर भी विचाराधीन क्षेत्र सिंचाई के लिए नलकूपों पर निर्भर करता है और नलकूपों का पानी खारा है जो कृषि योग्य नहीं है। इस प्रकार नहर द्वारा सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई तथा सिंचाई विभाग की स्थायी तकनीकी समिति द्वारा मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को बुर्जी 63350 से बुर्जी 84000 तक बढ़ाने की परियोजना प्राकल्लन को 11.08.2014 को स्वीकृत किया गया।

जो गांव/आउटलैट्स इस योजना को बढ़ाने से लाभान्वित होंगे उनका जी.ए./ सी.सी.ए. निम्न प्रकार हैः–

आउटलैट की बुर्जी	गांव	मौजूदा				प्रस्तावित विस्तार		
		कुल क्षेत्र (एकड़ में)	कृषि कमान क्षेत्र (एकड़ में)	सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)	औसतन वास्तविक सिंचाई प्रतिशत	कृषि कमान क्षेत्र (एकड़ में)	प्रस्तावित सिंचाई प्रतिशत	सिंचित होने वाला क्षेत्र (एकड़ में)
मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री 59630–बांए	लोहारी राघो	456	456	461	101%	456	110%	502
मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री 63350–टेल बांए	लोहारी राघो	431	367	565	154%	367	160%	587
लोहारी माईनर 33000–दांए	लोहारी राघो	138	138	99	72%	138	82%	113
लोहारी माईनर 39000–टेल दांए	ठरवा, शालाडेरी	1000	952	1133	119%	952	130%	1238
मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल 39490–बांए	लोहारी राघो	856	856	933	109%	856	120%	1027
मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल 41666–बांए	लोहारी राघो	170	170	60	35%	170	62%	105
मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल 48708–बांए	लोहारी राघो, ठरवा, डाटा	396	396	416	105%	396	115%	455
मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल 48608–दांए	लोहारी राघो	56	56	22	39%	56	62%	35
मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल 52008–बांए	ठरवा	64	64	12	18%	64	62%	40
योग		**3567**	**3455**	**3701**	**107%**	**3455**	**119%**	**4102**

सरकार द्वारा 933.00 लाख रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति उनके मेमो संख्या 2/29/2016–1आई.डब्ल्यू दिनांक 16.05.2016 द्वारा प्रदान की गई तदानुसार इसके संरेखण को मुख्य अभियन्ता/भाखड़ा ईकाई, सिंचाई एवं जल संसाधन हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 6132/5बी.डब्ल्यू.एस./70/320 दिनांक 04.10.2016 द्वारा मन्जूर किया गया।

इस योजना के लिए 19.18 एकड़ भूमि गांव लोहारी राघो व ठरवा से हरियाणा सरकार की ''भूमि खरीद नीति'' के अन्तर्गत ली जानी है। इस विस्तारित नहर की क्षमता 8.64/11.23 क्यूसिक है। विस्तारित चैनल पर 3567 जी.ए./3455 सी.सी.ए एकड क्षेत्र लिया गया है। प्रस्तावित विस्तार के लिए 17.24 एकड़ गांव लोहारी राघो व 1.94 एकड गांव ठरवा की भूमि आएगी। गांव लोहारी राघो का कलैक्टर रेट वर्ष 2017–18 के लिए 12.50 लाख रू0 प्रति एकड़ व गांव ठरवा के लिए 12.30 लाख रू0 प्रति एकड़ है और ''कमेटी आफ सैकरेट्रिस'' ने 04.07.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इन्ही रेटों को मंजूर करने की सिफारिश की। दिनांक 22.11.2018 को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ''हाई पावर लैण्ड परचेज़ कमेटी''

द्वारा ''भूमि खरीद नीति'' के तहत इन्ही रेटों को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि ''भूस्वामियों को किया जाने वाला भुगतान संबंधित डीआरओ के पास जमा किया जाए और उसको राजस्व विभाग द्वारा बैंक/भूस्वामियों को पूरी जमीन की रजिस्ट्री सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नाम होने के बाद ही जारी किया जाए ताकि बाद में किसी भी तरह की जटिलताओं से बचा जा सके।

इसमें शामिल कुल भूमि, जिसका मूल्य 243.00 लाख रु0 है, को डीआरओ, हिसार के पास जमा करवा दिया गया है। इसके बाद प्रांतीय सरकार के पक्ष में अपनी भूमि के पंजीकरण के लिए भूमि मालिकों को 18.06.2019 को नोटिस जारी किए गए। अपनी जमीन के पंजीकरण के लिए आगे आए किसानों व भूमि मालिकों ने मण्डल नहर अधिकारी को लिखित बयान दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जमीन की कीमत का चेक जमीन के पंजीकरण के साथ ही दिया जाए। पंजीकरण के लिए तय की गई अन्य तारीखों पर, कोई भी किसान व भूमि मालिक, तहसील, नारनौंद में पंजीकरण के लिए नहीं पहुंचे और जब उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने फिर से मांग की कि पंजीकरण के साथ ही जमीन के लिए चेक दिया जाए। इस प्रकार भूमि का एक भी पंजीकरण सरकार के पक्ष में नहीं किया गया है।

विभाग के अधिकारियों ने तदानुसार भूमि मालिकों से रजिस्ट्री कराने और निष्पादित करने के लिए संपर्क किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। भूमि के मालिकों ने गांव खेडी चोपटा में सितंबर 2019 के दौरान धरना दिया, जिसमें मांग की गई कि जमीन की खरीद के बजाय अधिग्रहित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ व्यक्ति राज्य या विदेश से बाहर रह रहे हैं। तदानुसार, उपायुक्त, हिसार और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि सबसे पहले भूमि मालिकों को उनके निवास अनुसार अलग–अलग किया जाए तदानुसार भूमि मालिकों की एक सूची तैयार की गई, जो राज्य में या राज्य से बाहर रहते हैं। मामले को सुलझाने के लिए कई बैठकें भी हुईं लेकिन सभी व्यर्थ हुई। पुनः 09.01.2020 को उपायुक्त, हिसार, तहसीलदार नारनौंद और एसडीएम नारनौंद के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए भूमि मालिकों को फिर से नोटिस जारी किए जाएं। प्रत्येक भूमि स्वामी को 10.01.2020 पर फिर से नोटिस जारी किए गए, जिसमें तहसीलदार नारनौंद के कार्यालय में 21.01.2020 को अपनी भूमि का पंजीकरण कराने के लिए भूमि मालिकों को निर्देश दिए गए थे। काफी अनुन्य और प्रेरित करने के बाद अब विभाग के हक में भूमि की रजिस्ट्री करवाने का कार्य प्रगति पर है और ग्राम लोहारी राघो की 17.24 एकड़ भूमि में से 10.40 एकड़ और गांव ठरवा की 1.94 एकड़ में से 0.96 एकड़ भूमि का पंजीकरण विभाग के हक में हो चुका है और बाकी पंजीकरण सिंचाई विभाग के पक्ष में होने के बाद काम आगे बढ़ेगा और प्राक्कलन तथा निविदाओं की औपचारिकता आगे बढ़ेगी और उसके बाद काम शुरू किया जाएगा।